न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, देहरादून

प्रकीर्ण वाद संख्या 2011 /2026

प्रार्थी————————— रोहित कुमार

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता– श्री अमित त्यागी

दिनांक 05–06–2026

प्रार्थी रोहित कुमार की ओर से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किये गये हैं कि प्रार्थी को उक्त वाद में गिरफ्तार किये जाने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा दिनांक 16.03.2022 को पारित आदेश के अनुपलान में मु0 1,50,000/– रूपये की धनराशि न्यायालय में जमा करने की शर्त पर जमानत प्रदान की गयी थी। प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन करते हुए उक्त धनराशि न्यायालय में विधिवत जमा कर दी गयी थी। वाद के दौरान वादी एंव अभियुक्तगण के मध्य विवाद का समाधान हो गया तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 03.10.2023 को पारित आदेश के माध्यम से अभियुक्तगण को दोषमुक्त कर दिया गया। वाद के निस्तारित हो जाने के उपरान्त न्यायालय में जमा मु0 1,50,000/– रूपये की धनराशि का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। प्रार्थी द्वारा उक्त धनराशि की वापसी हेतु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एम0सी0आर0सी0 संख्या 2/2026 प्रस्तुत की गयी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। वर्तमान में उक्त धनराशि ड्राफ्ट के माध्यम से न्यायालय में जमा है। प्रार्थी रोहित कुमार द्वारा जमा धनराशि मु0 1,50,000/– रूपये को अपने पक्ष में निर्मुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

2. प्रार्थी के प्रार्थनापत्र पर कार्यालय आख्या तथा मूल पत्रावली अभिलेखागार से तलब की गयी।

3. मूल पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि प्रार्थी रोहित कुमार द्वारा माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 417/2022 में पारित आदेश दिनांकित 16,.03.2022 के अनुपालन में मु0 1,50,000/– रूपये ड्राफ्ट संख्या 45639090 के माध्यम से इस न्यायालय में जमा किये गये थे। तत्पश्चात वादी मुकदमा एवं अभियुक्तगण के मध्य समझौता होने के दृष्टिगत इस न्यायालय द्वारा दिनांक 03.10.2023 से अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर उक्त धनराशि को रिलीज करने हेतु प्रार्थना की गयी थी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया है कि–

"6. Having considered the submissions of learned counsel for the parties and in view of the fact that the matter has already been amicably settled and compounded between the parties, Misc. Application MCRC No. 2 of 2026 is allowed.

7. Accordingly, the applicant is permitted to move an appropriate application before the Court concerned/learned Judicial Magistrate First Class, Dehradun, seeking release/refund of the amount of ₹1,50,000/- deposited in compliance with the order dated 16.03.2022. In the event such an application is filed, the court concerned shall consider and decide the same expeditiously, in accordance with law, and shall release/refund the aforesaid amount to the applicant, if there is no other legal impediment."

5. कार्यालय की आख्या के अनुसार ''पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल के प्रार्थनापत्र संख्या 417/2022 रोहित कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांकित 16.03.2022 के अनुपालन में अभियुक्त रोहित कुमार द्वारा ड्राफ्ट संख्या 45639090 के माध्यम से मु0 1,50,000/– रूपये चालान संख्या 00700522E0960121 दिनांकित 09.05.2022 के माध्यम से जमा किये गये।''

6. अतः ऐसे में प्रार्थी के पक्ष में उक्त मु0– 1,50,000/– रूपये की धनराशि निर्मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी रोहित कुमार का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के पक्ष में **मु0– 1,50,000/– रूपये (एक लाख पचास हजार रूपये)** की धनराशि निर्मुक्त की जाये। कार्यालय को आदेशित किया जाता है कि उक्त धनराशि प्रार्थी के पक्ष में निर्मुक्त किये जाने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही कर न्यायालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करे।

प्रकीर्ण पत्रावली को नियमानुसार बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार संचित किया जाये।

(भावना पाण्डेय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम
देहरादून।